समक्ष माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

प्र.क्र. विविध 116 — विविध 9042-II-16

1. दशरथ अहीर तनय गुटियां अहीर
निवासी ग्राम महिलावार तह. राजनगर
जिला छतरपुर ....आवेदक

//विरूद्ध//

म.प्र.शासन ....अनावेदक

निग. प्र.क. 468 एक/15 आदेश दिनांक 17.02.16

आवेदक पत्र अंतर्गत धारा 152 व्य.प्रक्रिया संहिता 1959

आवेदक की ओर से प्रार्थना निम्नानुसार है:–

1. यह कि, उपर्युक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 17.02.16 को आदेश पारित करते हुए निगरानी स्वीकार की गई है।

2. यह कि, माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में निम्नलिखित त्रुटि भूलवश की गई है जिसका सुधार किया जाना है:–

1. अपर कलेक्टर छतरपुर के आदेश दिनांक 07.02.15 का प्रकरण क्रमांक 42 लेख है जिसका सही नंबर 43 है।

2. तहसीलदार राजनगर के प्रकरण क्रमांक 25 लेख है जिसका सही नंबर 26 है इसी प्रकार रकवा 2.000 हे0 लेख है जिसका सही रकवा 1.650 हे0 है। जिसका सुधार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उपरोक्त त्रुटि साहवान भुलवश टंकण त्रुटि है जिसके सुधार किये जाने से पारित आदेश के स्वरूप में किसी भी प्रकार का काई भी परिवर्तन हीं होगा। मात्र प्रकरण कमांक एवं रकवा दुरूस्त किया जाना है।

अतः प्रार्थना है कि प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुए पारित आदेश दि० 17.02.16 में उपरोक्तानुसार सुधार किए जाने की कृपा की जावे।

ग्वालियर
दिनाँक : 05/4/16

....हेतु आवेदक

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. विविध / 9042/16. जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-4-16	1– आवेदक के अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव एवं श्री डी.के. पासी उपस्थित होकर धारा 152 व्य.प्र.संहिता के तहत का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पक्षकार दशरथ विरूद्ध शासन प्रकरण क्र. 468–एक/15 के आदेश दिनांक 17.02.16 में निम्नलिखित त्रुटि की गई है जिसका सुधार किया जाना है:– 1. अपर कलेक्टर छतरपुर के आदेश दि. 07.02.15 का प्रकरण क्रमांक 42 लेख है जिसका सही नंबर 43 है। 2. तहसीलदार राजनगर के प्रकरण क्रमांक 25 लेख है जिसका सही नंबर 26 है इसी प्रकार रकवा 2.000 हे0 लेख है जिसका सही रकवा 1.650 हे0 है। जिसका सुधार किया जावे। मैंने पारित आदेश एवं अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश, दोनों आदेशों का अवलोकन किया। उपरोक्तानुसार सुधार मान्य करते हुए प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है। यह आदेश प्रकरण क्र. 468–एक/15 आदेश दिनांक 17.02.16 का अंग माना जायेगा। सदस्य	